फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना नवाबगंज

दिनांक :- 25.09.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं-213/24 धारा-331(8)/305(क)/317(2) बीएनएस का सफल अनावरण कर हत्या मे शामिल छैमार गिरोह के 04 अभियुक्तो को मय चोरी किये गये माल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 213/024 धारा -331(1) 305(क)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तो को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1. तनवीर उर्फ राजीव उर्फ सपेरा पुत्र नियाजुद्दीन उर्फ बच्चन मियां निवासी बिलासपुर जनपद रामपुर
2. जाकिर शाह उर्फ जकरा पुत्र दिलशाद शाह निवासी आदमपुर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद हाल निवासी बिलासपुर थाना बिलासपुर जिला रामपुर
3. दिलशाद शाह पुत्र ताज मोहम्मद निवासी सिरौली मोहल्ला प्यास थाना सिरौली जनपद बरेली।
4. ताज मोहम्मद उर्फ अनवर शाह पुत्र अच्छन खां उर्फ भूरा निवासी मोहल्ला प्यास सिरौली थाना सिरौली जनपद बरेली

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक- 27.08.2024 को आवेदक श्री सल्लू पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम सिरौली थाना नवाबगंज हाल पता जनपद मैनपुरी ने लिखित प्रर्थना पत्र दिया कि दिनांक 26.08.2024 की रात्रि मे वादी के पिता मेंहदी हसन पुत्र बुधू की रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 213/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना यह तथ्य प्रकाश मे आए कि अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करते समय विरोध करने पर वादी के पिता/गृहस्वामी मेहदी हसन की हत्या कारित की गयी और घर मे रखे हुये जेवरात व अन्य सामान चोरी कर ले जाने की बात प्रकाश मे आयी। जिससे मुकदमा उपरोक्त मे धारा -103(1) BNS की घटोत्तरी करते हुए धारा-331(8)व 305(क) की वृद्धि की गयी। जिसके क्रम मे दिनांक -24.09.2024 को अभियोग उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए 04 नफर अभियुक्तगण को चोरी गये माल सहित गिरफ्तार किया गया तथा चोरी किये गये माल की बरामदगी के आधार पर धारा -317(2) की वृद्दि की गयी एव उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- दौराने पूछताछ अभियुक्तगणो ने बताया कि हम लोग छैमार है। मागते खाते है। उसी दौरान दिन मे गांव गांव घूमकर रैकी करते है तथा गाव के बाहर एव एकान्त मे बने मकानो मे रात्रि मे चोरी करते है। हम लोग चोरी करने से पहले आस पास के पेडो से डन्डे आदि तोड लेते है और फिर चोरी करने के लिए घर मे घुसते है यदि घर का कोई सदस्य जग जाता है या विरोध करता है तो डन्डे से उसकी गर्दन पर वार करते है जिससे वह बेहोश हो जाता है। कुछ दिन पहले जन्माष्टमी के दिन यहा से करीब 08-10 किमी दूर एक गाव मे खेतो की तरफ बने मकान मे समय करीब रात्रि 01.00 बजे हम चारो लोग दीवार कूदकर घर मे घुसे थे जहां एक व्यक्ति बरामदे मे सो रहा था। सो रहे आदमी के पास हमारा एक साथी खडा हो गया और बाकी लोग चुपचाप कमरे मे घुस गये और चोरी करने के लिए अलमारी व बक्से का ताला तोडने लगे तभी आवाज होने पर बरामदे मे सो रहा व्यक्ति जाग गया और चोरी का विरोध करने लगा। हम लोगो ने उसी के कपडे से पैर बाध दिये तथा हाथो को पीछे की तरफ बाध दिया तथा अपने रुमाल से उसका मुंह बाध दिया और उसकी गर्दन पर डन्डा मार दिया। जिससे वह शान्त हो गया। फिर हम लोगो ने बक्से व अलमारी मे रखा सामान बाहर निकाल कर देखा और

अलमारी मे रखी चांदी की पांच अगूठी व एक सोने का पैडल व एक जोडी चांदी की पायल एक हाथ घडी तथा एक पैन कार्ड तथा आष्युमान कार्ड व 5000/ रुपये चोरी कर खेतो की तरफ चले गये थे । आज हम लोग पुनः रेकी करने तथा चोरी के सामान को चलते फिरते लोगो को बेचने के लिए आए थे एकान्त मे वैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी आपने हम लोगो को पकड लिया। साहब तीन चांदी की अंगूठी हमने पहले ही चलते फिरते राहगीरो को बेच दी थी । जिनका पैसा हमने खाने पीने मे खर्च कर दिया था तथा शेष बचे हुए सामान व 5000 रुपये हमने आपस मे बांट लिये थे । जिनमे कुछ पैसे खर्च हो गये बाकी शेष बचे हम लोगो के पास थे

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तनवीर उर्फ राजीव उर्फ सपेरा उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं-926/2011 धारा – 302 भादवि थाना सिरौली जिला बरेली।
2. मु0अ0सं-142/22 धारा -380/411/457 भादवी थाना- सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत ।
3. मु0अ0सं-152/22 धारा -34/399/402/411 भादवि थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत।
4. मु0अ0सं-153/22 धारा -307/34 थाना सेहरामऊ उत्तरी जिला पीलीभीत ।
5. मु0अ0सं-155/22 धारा -25/3 आर्म्स एक्ट थाना सेहरामऊ उत्तरी जिली पीलीभीत।
6. मु0अ0सं-213/2024 धारा -331(8)/305(क)/317(2) वीएनएस थाना नवाबगंज ।
7. अन्य थाना जात से जानकारी की जा रही है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने जनपद बरेली तथा उधमपुर जिले के खटीमा थाने मे भी अभियोग पंजीकृत होने की बात बतायी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाकिर शाह उर्फ जकरा उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं-365/10 धारा- 302 /394 भादवि थाना शीश गढ जिला बरेली।

2.मु0अ0सं-403/2010 धारा – 302/380/411 भादवि थाना शीशगढ जिला बरेली ।

3.मु0अ0सं-213/2024 धारा -331(8)/305(क)/317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज ।

4. अन्य थाना जात से जानकारी की जा रही है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने जनपद बरेली तथा सम्भल एव उत्तराखण्ड के अन्य थाने मे भी अभियोग पंजीकृत होने की बात बतायी ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिलशाद शाह उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं-0244/23 धारा-25/25(1)वी /3/4आयुध अधिनियम व120 बी/394/411/506 भादवि थाना जरीफ नगर जिला बदायू
2. मु0अ0सं-0459/2023 धारा -120-B, 380, 411 भादवि थाना सहसवान जिला बदायू
3. मु0अ0सं-213/2024 धारा -331(8)/305(क)/317(2) वीएनएस थाना नवाबगंज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ अनवर शाह उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं-0244/23 धारा -25/25(1) वी /3/4 आयुध अधिनियम व 120 बी/394/411/506 भादवि थाना जरीफ नगर जिला बदायू
2. मु0अ0सं-0245/2023 धारा -25/25(1वी) /3/4/9 आयुध अधिनियम व 120 बी/394/411/506 भादवि

3. मु0अ0सं-213/2024 धारा -331(8)/305(क)/317(2) बीएनएस थाना नवाबगंज

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 पेन्डल पीली धातु
2. 02 जोडी पायल सफेद धातु
3. 02 सफेद धातु की अगूठी
4. 01 अदद पैन कार्ड
5. 01 अदद आष्युमान कार्ड मृतक मेहदी हसन
6. 02 हाथ घडी
7. 1400/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम :-

1. श्री बलराज भाटी थानाध्यक्ष नवाबगंज
2. वरि उ0नि0 श्री राम सिंह
3. उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह
4. HC- नंदलाल
5. का- आदेश कुमार
6. का- भूदेव
7. का-सौरभ शर्मा
8. का- सुधान्शु

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम :-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र पटेल एसओजी प्रभारी
2. मु0आ0 गजराज
3. आ0 दिव्याशु
4. आ0 विकास चन्द्र
5. आ0 विनोद कुमार

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विशेष कुमार सर्विलास प्रभारी
2. मु0आ0 करन यादव
3. मु0आ0 अनुराग
4. बलवीर सिह (चालक)

मीडिया सेल फतेहगढ़